राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5661/2024

रामकरण पुत्र श्री भागू राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, ग्राम जैसलान, तहसील लाडनू जिला डीडवाना कुचामन (राज.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. गणपत राम पुत्र श्री लच्छा राम जी, उम्र लगभग 65 वर्ष, ग्राम जैसलान, तहसील लाडनू जिला डीडवाना, कुचामन (राज.)

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री भोला राम चाहर

प्रतिवादी(ओं) के लिए: सुश्री सोनू मनावत, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

23/08/2024

1. यहां चुनौती दी गई है दिनांक 28.05.2024 को विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू, जिला डीडवाना-कुचामन द्वारा धारा 420, 406 और 120-बी के तहत लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या 334/2022 में पारित

आदेश। इस आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अपंजीकृत समझौते को एक प्रदर्श सौंपने पर आपत्ति जताई गई थी।

2. अन्य कारणों के साथ-साथ, यह आदेश इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए विचाराधीन समझौता महत्वपूर्ण है। इस समझौते का संदर्भ आरोपों में भी दिया गया है।

3. सुनवाई हुई।

4. मैं याचिकाकर्ता के आवेदन को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज करने के फैसले से सहमत हूं, हालांकि अलग-अलग कारणों से।

5. मेरा मानना है कि आपराधिक कानून में, यदि कोई दस्तावेज अपंजीकृत या असत्यापित है तो उसकी स्वीकार्यता में बाधा नहीं आती। आपराधिक कार्यवाही में न्यायालय का ध्यान अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर निर्णय लेने पर होता है, न कि पक्षों के बीच किसी नागरिक अधिकार का निर्धारण करने पर। इस संदर्भ में, अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.03.2024 को प्रस्तुत किया गया आवेदन, जिसमें दिनांक 02.04.2015 के अपंजीकृत समझौते की स्वीकार्यता पर आपत्ति की गई थी, गलत था और तदनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे सही तरीके से खारिज कर दिया गया।

5. इसके अलावा, किसी दस्तावेज को कोई प्रदर्श या चिह्न सौंपने का कार्य एक मंत्रिस्तरीय कार्य है जिसका उद्देश्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज की पहचान करना है। साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय किसी दस्तावेज को कोई प्रदर्श या चिह्न सौंपा गया है या नहीं, यह अप्रासंगिक है। भले ही किसी दस्तावेज को कोई प्रदर्श सौंपा गया हो, लेकिन बाद में पाया जाता है कि वह कानून के अनुसार विधिवत साबित नहीं हुआ है या अन्यथा अस्वीकार्य है, याचिकाकर्ता उचित चरण में इसके बहिष्कार की मांग कर सकता है। इसके विपरीत, यदि

आरंभ में चिह्नित कोई दस्तावेज बाद में कानून के अनुसार सिद्ध हो जाता है और स्वीकार्य माना जाता है, तो संबंधित पक्ष न्यायालय से उचित समय पर उस पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है।

6. चूंकि मुकदमा चल रहा है, इसलिए विद्वान ट्रायल कोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दस्तावेज की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य के संबंध में उचित चरण में निर्णय ले। इसलिए यह न्यायालय प्रश्नगत दस्तावेज की प्रासंगिकता, प्रमाण या स्वीकार्यता पर टिप्पणी करने से परहेज करता है।

7. याचिका का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ किया जाता है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।